आचार संहिता

सभी छात्राओं के लिए निम्न आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है :-

1. महाविद्यालय में पहचान पत्र गले में पहनकर रखना अनिवार्य है। प्रवेश द्वार पर पहचान-पत्र की जांच के लिए माँगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. प्रार्थना-सभा व यज्ञ में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान/गीत का सम्मान करना प्रत्येक छात्रा का कर्त्तव्य है ।
4. महाविद्यालय परिसर एवं यज्ञ / सभा/ समारोहों में अनुशासन का पालन करें।
5. प्राध्यापिका वर्ग के लिए आदर भाव तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति विनम्र व्यवहार रखें।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति तथा पुस्तकों की सुरक्षा में सहयोग करना सभी छात्राओं का कर्त्तव्य है।
7. किसी भी प्रकार की बैठक, सभा आदि आयोजित करने के लिए प्राचार्या की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
8. नोटिस बोर्ड तथा ब्लैक बोर्ड पर किसी भी तरह का नोटिस लगाना या लिखना निषिद्ध है।
9. छात्राएं अपनी साईकिल/ स्कूटर / मोपेड ताला लगाकर ही स्टैण्ड पर रखेंगी। किसी भी तरह के नुकसान व चोरी के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा।
10. खाली समय पुस्तकालय अथवा छात्रा-कक्ष में ही बिताये और बरामदों में न घूमें।
11. कक्षा में समय पर नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
12. अपने महाविद्यालय के प्रांगण में सफाई की व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। व्यर्थ के कागज व छिलके इत्यादि कूड़ेदान में फैंके ।
13. महाविद्यालय परिसर में फूल तोड़ना वर्जित है।
14. महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति आना सख्त मना है।
15. कोई भी छात्रा प्राचार्या की अनुमति के बिना बाहर से आए हुए व्यक्ति से नहीं मिल सकती।
16. महाविद्यालय में छात्राएं सादी एवं सुरुचिपूर्ण वेशभूषा में आयेंगी। भड़कीले एवं अत्याधुनिक वस्त्र एवं आभूषणों का प्रयोग निषिद्ध है।
17. **प्राचार्या की अनुमति के बिना महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का आयोजन महाविद्यालय परिसर से बाहर करने वाली एवं परिसर से बाहर आयोजन में भाग लेने वाली छात्राओं के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।**
18. **महाविद्यालय में मोबाइल का अनुचित उपयोग करते हुए पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।**
19. छात्राएं अपनी किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के लिए अपनी ट्यूटोरियल इंचार्ज/प्राचार्या को मौखिक या लिखित रूप में अवश्य बताएं।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय तथा इसका वाचनालय महाविद्यालय के कार्य समय में खुला रहता है।
2. पुस्तकें छात्राओं के Library-cum-Identity Card पर निर्गमित (issue) की जाती हैं।
3. बी.ए./बी.कॉम/बी.टी.एम./बी.एस.सी. तृतीय वर्ष तथा एम.ए./एम.कॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राओं को एक समय में तीन पुस्तकें मिलेंगी तथा अन्य कक्षाओं की छात्राओं को एक समय में दो पुस्तकें मिलेंगी।
4. छात्राएं दो सप्ताह तक पुस्तकें अपने पास रख सकती हैं। तत्पश्चात् एक रुपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से जुर्माना लिया जायेगा। यदि निश्चित तिथि किसी छुट्टी को पड़े तो उससे अगले दिन को निश्चित तिथि समझा जायेगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालयाध्यक्षा किसी पुस्तक को निश्चित तिथि से पहले भी मंगवा सकती है।
6. यदि किसी अन्य सदस्य को आवश्कता न हो तो कोई भी पुस्तक केवल सात दिन के लिए पुनः जारी की जा सकती है।
7. पुस्तक लेने वाली छात्राएं अपने कार्ड पर दर्ज सभी पुस्तकों के लिए उत्तरदायी होंगी।
8. संदर्भ–ग्रंथ, विशिष्ट पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं केवल पुस्तकालय में ही पढ़ी जा सकती है।
9. खो जाने, फट जाने अथवा खराब करने की स्थिति में नई पुस्तक देनी पड़ती है अथवा उसका मूल्य जमा करवाना पड़ता है। यदि जारी करने के समय कोई पुस्तक फटी हुई अवस्था में है तो छात्राओं को चाहिए कि वह पुस्तकालयाध्यक्षा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर दें, नहीं तो उन्हें पुस्तक की बिगड़ी हुई अवस्था के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा। किसी पुस्तक के खो जाने की सूचना तत्काल पुस्तकालयाध्यक्षा को दें।
10. पुस्तकालय, वाचनालय में शान्ति बनाए रखना छात्राओं का कर्त्तव्य है।

रैगिंग सम्बन्धी निर्देश

महाविद्यालय में किसी भी रूप में रैंगिग पूर्णतया निषिद्ध है।

★ महाविद्यालय में रैगिंग–निषेध समिति बनाई गई है जो किसी भी छात्रा के किसी भी रूप में रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर निम्न कार्यवाही कर सकती है।

i) छात्रा को मिलने वाली छात्रवृति व अन्य आर्थिक लाभ को रोका अथवा बन्द किया जा सकता है।

ii) Campus Placement से सम्बन्धित अवसरों से वंचित तथा महाविद्यालय की ओर से रोजगार सिफारिशों को रद्द किया जा सकता है।

iii) किसी भी परीक्षा या किसी भी प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।

iv) छात्रा का वार्षिक परिणाम रोका जा सकता है।

v) छात्रा को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टूर्नामैन्ट व युवा महोत्सव में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने से वंचित किया जा सकता है।

vi) प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

vii) महाविद्यालय से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

viii) महाविद्यालय से निष्कासन की स्थिति में किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

ix) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

★ महाविद्यालय की रैगिंग निषेध समिति को छात्राएँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।